बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

श्री राजीव रौशन, भा0प्र0से0, सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 23.10.2026 को पूर्वाह्न 10.30 बजे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पदाधिकारियों के साथ आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में पदस्थापित
सभी पदाधिकारी एवं कर्मी।

सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में सचिव महोदय द्वारा प्रशाखावार निम्नांकित बिन्दुओं की समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरान्त निम्नवत् निदेश दिये गये :–

प्रशाखा–6

1. **राज्य के प्राथमिक/मध्य विद्यालयों के भवन निर्माण, चहारदिवारी निर्माण एवं अन्य कार्य योजना :–**

प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6 के द्वारा बताया गया कि उक्त योजना अन्तर्गत 210 करोड़ रूपये उपबंधित है, जिसके विरूद्ध 6,13,68,200/–रू0 का स्वीकृतादेश निर्गत है तथा लगभग 193.5 करोड़ की स्वीकृति हेतु लोक वित्त समिति की सहमति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

उक्त योजना अन्तर्गत पूर्व में कराये गये निर्माण कार्य का विस्तृत विवरणी BSEIDC से प्राप्त कर शेष राशि से बकाये बिल का भुगतान करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को दिया गया।

2. **राज्य के प्राथमिक/मध्य विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य योजना :–**

प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6 के द्वारा बताया गया कि उक्त मद में 194.5 करोड़ उपबंधित राशि है, जिसके विरूद्ध 64.00 करोड़ का स्वीकृत्यादेश निर्गत है। प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को निदेश दिया गया कि शेष राशि की स्वीकृत्यादेश निर्गत कर जिलों को राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई करें।

3. **प्रारंभिक विद्यालय में आधारभूत संरचनाएं (फर्नीचर, ICT, Smart Class, FLN Kit| other Kits, Equipments, Books for School Libraries etc) स्थापित करने के संबंध में :–**

प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6 के द्वारा बताया गया कि उक्त मद में 25.00 करोड़ रूपये उपबंधित है जिसमें से 05.00 करोड़ रू0 मशीन एवं उपस्कर क्रय के लिए, 04.99 करोड़ रू0

प्रकाशन एवं मुद्रण के लिए तथा 15.00 करोड़ रू0 सामग्री एवं आपूर्त्तियॉ मद में उपबंधित है। उक्त राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी पदाधिकारी को संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

4. **<u>प्राथमिक विद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण</u>** :– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6 के द्वारा बताया गया कि जिलों से मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। संबंधित प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला के साथ आहूत होने वाली साप्ताहिकी बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना उपलब्ध करायें।

5. **<u>मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :–</u>**

स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रभारी पदाधिकारी को उक्त मद में उपलब्ध राशि की अविलंब स्वीकृत्योदश निर्गत करने का निदेश दिया गया।

6. **<u>छात्रवृत्ति योजना (वर्ग 1 से 8) सामान्य कोटि</u>** :–

प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–06 के द्वारा बताया गया कि उक्त मद में 05.00 करोड़ राशि उपबंधित है तथा द्वितीय अनुपूरक में 140.00 करोड़ रूपये की मांग की गई है।

7. **<u>मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना</u>** :–

प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6 के द्वारा बताया गया कि उक्त मद में 05.00 करोड़ रूपये उपबंधित है तथा द्वितीय अनुपूरक में 69.00 करोड़ रू0 की मांग की गई है। इस मद में उपलब्ध 05.00 करोड. रू0 को अविलंब जिलों को उपलब्ध कराने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।

8. **<u>मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :–</u>**

उक्त मद में राशि की निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत है।

9. **<u>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :–</u>**

प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6 के द्वारा बताया गया कि उक्त मद में 2,24,10,46,000/–रू0 का विमुक्ति आदेश निर्गत हो चुका है।

<u>प्रशाखा –7</u>

1. W.P. (C) No. 132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय एवं अन्य के मामले में बताया गया कि दिनांक–07.03.2025, दिनांक–25.11.2025 एवं दिनांक–13.10.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में कुल 134 अनुबंध आधारित संसाधन शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आदेश निर्गत है। इनके समायोजन की करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए अवलिंब समायोजन कराने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।

विभाग द्वारा संसाधन शिक्षकों के लिए सृजित कुल 7279 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन कर ली गयी है। परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाना लंबित है। इस हेतु निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को परीक्षाफल प्रकाशन के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया गया।

साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में उक्त मामले में Legal Opinion लेने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–7 को दिया गया।

2. अध्यक्ष, राज्य अपीलीय प्राधिकार के रिक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने के लिए विमर्श हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश संबंधित प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील सं0–1385/2025 अंजुमन ईशात –ई–तालीम ट्रस्ट बनाम भारत संघ में पारित आदेश में बताया गया कि नियुक्ति एवं प्रोन्नति में शिक्षकों का टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्णता एवं डी0एल0ई0एड0 संबंधी अर्हता अनिवार्य होने के बिन्दु पर निर्णय लिया जाना है तथा आदेश के अनुपालन में विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त किया जा चुका है।

प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–7 को निदेश दिया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से स्पेशल टी0ई0टी0 परीक्षा आयोजित कराने की कार्रवाई की जाय।

4. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–1942/2024 प्रमोद कुमार यादव बनाम राज्य सरकार से उद्भूत एम0जे0सी0 सं0–2879/2024 माननीय न्यायालय में दायर की गयी है। इस अवमाननावाद में यथोचित अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

प्रशाखा :–8

1. RTE के तहत निजी विद्यालयों को राशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड 3000 निजी विद्यालयों का विहित प्रावधान के आलोक में जांचोपरान्त 1973 विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र 2019–20 से 2023–24 तक कुल 204.00 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में मूल बजटीय उपबंध 50.00 करोड़ का है, जिसमें 16.5 करोड़ रूपये की निकासी की गई है तथा भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–8 को निदेश दिया गया कि उपलब्ध 16.50 करोड़ की राशि में वर्तमान वित्तीय वर्ष का भुगतान करते हुए नियमानुसार उक्त राशि की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से दावा प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जाए।

2. विद्यालय प्रबन्ध समिति नियमावली के गठन के मामले में प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–08 द्वारा बताया गया कि इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त की जा चुकी है तथा एक अन्य संचिका वित्त विभाग से अप्राप्त रहने के कारण अग्रेत्तर कार्रवाई लंबित है।

निदेश दिया गया कि ऐसे मामलों में प्रभारी पदाधिकारी स्वयं संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर संचिका निष्पादित कराने की कार्रवाई करें।

3. सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा ली जानी है। उक्त मामले में परीक्षा की तिथि निर्धारित करने हेतु सचिव, शिक्षा विभाग के स्तर से बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र प्रेषित करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–8 को दिया गया।

➢ **<u>उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं डी.सी. विपत्र :–</u>**

ए0सी0/डी0सी0 एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्रों से संबंधित लंबित विपत्रों का समायोजन अविलम्ब कराने का निदेश संबंधित प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।

➢ **<u>अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के सेवांत लाभ :–</u>**

सितम्बर, 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के सेवांत लाभ की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0सं0	कुल मामले	निष्पादित ममाले	लंबित मामले
1	83	78	05

उक्त के आलोक में प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–17 को निदेश दिया गया कि आगामी 06 माह में सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके सेवान्त लाभों का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई ससमय प्रारंभ कर दी जाए ताकि उन पदाधिकारियों को सेवानिवृत्त की अंतिम तिथि तक नियमानुसार सेवान्त लाभों का भुगतान किया जा सके। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाय।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

(राजीव रौशन)
सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक – 205 (नि०प्र०) / पटना, दिनांक – 27/10/2026

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, योजना कोषांग, शिक्षा विभाग/मुख्य अभियंता, BSEIDC, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव, शिक्षा विभाग।